

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.27(7)न्याय/2018


जयपुर, दिनांक

परिपत्र

विषय :- CMIS पर सूचना अद्यतन किये जाने के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाले पत्रों के जवाब के सूचना की प्रति CMIS पर अद्यतन करने के लिये प्रेषित नहीं की जाने के कारण से CMIS पर अद्यतन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से CMIS से संबंधित प्राप्त होने वाले पत्रों के जवाब की एक प्रति नोडल अधिकारी CMIS को CMIS पर अद्यतन किये जाने हेतु आवश्यक रूप से एण्डोस किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे की समयानुसार CMIS पर अद्यतन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।

  
16-7-19  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
2. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग।
3. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधि रचना संगठन) विभाग।
4. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग।
5. विशिष्ट शासन सचिव, विधि विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।

  
16-7-19  
संयुक्त शासन सचिव